

तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ—साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देश सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब पर अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान, किसी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति द्वारा सहायता, दान या अंशदान के रूप में प्रदत्त भुगतान होता है। सहायता अनुदान, संघीय शासन द्वारा राज्य शासन, पंचायती राज संस्थाओं, अभिकरणों, निकायों एवं संस्थानों को प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को सहायक अनुदान वितरित करता है। इस तरह जारी किए गए अनुदान इन एजेंसियों, निकायों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने और पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 के नियम 173 के अनुसार जब तक शासन के अन्यथा आदेश न हो, विशिष्ट प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला प्रत्येक अनुदान निम्न शर्तों के अन्तर्गत होगा:

I- यदि व्यय की कोई समयावधि न हो तो अनुदान उचित प्रयोजन पर उचित समय में व्यय किया जाएगा। और

II- यह कि अनुदान का वह अंश जो व्यय नहीं हुआ है, शासन को समर्पित की जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 नियम 182 के अनुसार वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।


छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों से सहायता अनुदान के देयक धनराशि ₹ 10,502.86 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान कुल 4237 उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्तीय वर्ष के अनुसार लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की स्थिति को नीचे की तालिका में दिया गया है।

तालिका 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल भुगतान की गई निधि		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007–08	5158	1,871.82	5015	1,301.43	143	570.39
2008–09	6691	2,182.37	6607	1,731.06	84	451.31
2009–10	5881	2,798.36	5720	2,270.47	161	527.89
2010–11	6957	3,204.49	6639	2,132.74	318	1,071.75
2011–12	7661	3,562.13	7216	2,386.34	445	1,175.79
2012–13	22774	7,461.02	21928	5,574.85	846	1,886.17
2013–14	34474	11,347.98	33418	8,797.28	1056	2,550.70
2014–15	1060	2,328.93	477	957.90	583	1,371.03
2015–16	626	910.42	25	12.59	601	897.83
योग	91282	35,667.52	87045	25,164.66	4237	10,502.86

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

मुख्य शीर्ष और वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

ऊपर दिये गये चार्ट को देखने से यह पता चलता है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र में वर्ष 2007–08 से 2013–14 के दौरान लगातार वृद्धि हो रही थी, उसके पश्चात् के दो वर्षों में इसमें काफी तेजी से गिरावट आई है।

3.1.2 लेखा परीक्षा का विस्तार

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कारणों के अध्ययन करने हेतु विस्तृत समीक्षा किया गया। राज्य सरकार द्वारा संचालित कुल 56 मुख्य शीर्ष में से तीन मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, 2217–शहरी विकास विभाग तथा 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित किया गया। ये तीन मुख्य शीर्ष में 2509 उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹ 3,943.55 करोड़ लंबित है तथा कुल उपयोगिता प्रमाण पत्रों का 59 प्रतिशत है। इनके विस्तृत विश्लेषण हेतु कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा वर्ष 2015–16 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदन में उपयोगिता प्रमाण पत्र में संबंध में उल्लेखित आपत्तियों को सम्मिलित किया गया। साथ ही, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारणों को जानने हेतु इन विभागों के संचालक/निदेशक से संपर्क किया गया।

3.1.3 चयनित मुख्य शीर्षों की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

चयनित किये गये तीन मुख्य शीर्षों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति तालिका 3.2 में दी गई है।

तालिका 3.2: चयनित मुख्य शीर्षों के अधीन वितरित किये गये सहायता अनुदान के अंतर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की 31 मार्च 2016 तक की स्थिति

विभाग	सहायता अनुदान वितरित वर्ष	भुगतान की गई अनुदान की संख्या	भुगतान की गई अनुदान की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
2202—सामान्य शिक्षा	2007–08 से 2015–16	32533	8,561.77	31882	7,987.19	651	574.58
2217—षहरी विकास विभाग	2007–08 से 2015–16	817	3,045.21	243	844.03	574	2,201.18
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2007–08 से 2015–16	4620	3,810.29	3336	2,642.50	1284	1,167.79
योग		37970	15,417.27	35461	11,473.72	2509	3,943.55

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

तालिका 3.2 में यह दर्शाया गया है कि उपरोक्त तीन विभाग में राशि ₹ 3,943.55 करोड़ (2509 उपयोगिता प्रमाण पत्र) 31 मार्च 2016 तक लंबित था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा 01 से 09 वर्ष के बीच उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए गए, जो कि छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 182 का उल्लंघन है।

तीन विभागों से संबंधित तीन वर्ष का दस सबसे बड़ी मूल्य वाली प्रमाणकों का विश्लेषण किया गया जो तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: चयनित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्षवार 10 उच्चतम मूल्य वाले प्रमाणक की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

मुख्य शीर्ष	2012–13			2013–14			2014–15			कुल योग	
	प्रमाणक की संख्या	प्रमाणक की संख्या	प्रतिशत	प्रमाणक की संख्या	प्रमाणक की संख्या	प्रतिशत	प्रमाणक की संख्या	प्रमाणक की संख्या	प्रतिशत	संख्या	राशि
2202	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	30	457.38	86.54	30	457.38
2217	10	283.20	48.71	10	460.65	57.15	10	50.75	85.83	30	794.69
2515	10	105.48	26.15	10	129.44	18.36	10	5.55	44.58	30	240.46

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि उपरोक्त प्रकरण में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रतिशत वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान 18 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के मध्य रहा। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में समीक्षा के दौरान यह पता चला कि:

- मुख्य शीर्ष 2202 के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रतिशत कमशः 36 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत रहा।
- मुख्य शीर्ष 2217 के अंतर्गत राजीव आवास योजना में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रतिशत वर्ष 2014–15 के दौरान सम्पूर्ण लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का 49 प्रतिशत रहा।

- और यह भी देखा गया कि वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2014–15 में मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतिशत कमशः 18 प्रतिशत और 39 प्रतिशत रहा।

यह इंगित करने पर विभाग ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संचालनालय स्तर पर निगरानी नहीं रखी जा सकी है। साथ ही संचालकों द्वारा यह भी बताया गया कि विभाग के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र बाबत् नियंत्रण हेतु कोई भी अभिलेख/रजिस्टर अनुरक्षण नहीं किया गया।

इन तथ्यों का विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि अनुदानों को उपयोग में नहीं लाना, बैंक लेखे में अनुदान अवरुद्ध रहना, अपूर्ण कार्य, विलंब से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना या उपयोग में लाए जाने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारण रहे।

संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर पाई कि अनुदान पूरी तरह उपयोग में लाया गया। इस तरह की विशाल लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागों में अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा अप्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

3.1.4 विलंब से प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र

कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संकलित डाटा से यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष-2515 के अंतर्गत कुल राशि ₹ 2,776.38 करोड़ का 3427 उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मुख्य शीर्ष-2217 के अंतर्गत कुल राशि ₹ 1,682.38 करोड़ का 464 उपयोगिता प्रमाण पत्र 04 से 34 महीने विलंब से प्राप्त हुए। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

3.1.5 लेखा परीक्षा अवलोकन के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में चयनित विभागों का बाह्य लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

2202 सामान्य शिक्षा

सामान्य शिक्षा विभाग में वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक राशि ₹ 574.58 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था। कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नमूना जांच से निम्नलिखित अनियमितता पाया गया:

3.1.5.1 छात्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के लिए निधि प्रदाय करती है। अवितरित धनराशि वर्ष के अंत में शासकीय लेखे में समर्पण करनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी के अभिलेखों की माह जुलाई 2015 (भाटापारा), सितंबर 2015 (कोरबा) और फरवरी 2016 (जगदलपुर) एवं (गरियाबंद) की जांच में पता चला कि निम्न प्रकरण में छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि शासन को समर्पण नहीं किए तथा बैंक खाताओं में रखा गया। विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अवरुद्ध राशि

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग/संस्था का नाम	स्वीकृत वित्तीय वर्ष	अवितरित राशि
1	जिला शिक्षा अधिकारी, बलोदा बाजार, भाटापारा	2011–12 से 2014–15	112.36
2	खंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा	2013–14 से 2014–15	9.74
3	सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण, जगदलपुर	2012–13 से 2014–15	1,458.23
4	कलेक्टर, गरियाबंद	2012–13 से 2014–15	322.70
योग			1,903.03

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक छात्रवृत्ति की धनराशि ₹ 1,903.03 करोड़ बैंक खाता में रखे रहे। अवितरित छात्रवृत्ति को शासकीय लेखा में जमा नहीं किया गया जिससे ₹ 1,903.03 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

तथ्य को खण्ड शिक्षा अधिकारी, करतला के ध्यान में लाने पर बताया गया कि छात्रवृत्ति की राशि खण्ड शिक्षा अधिकारी, करतला के खाते में नहीं है यह धनराशि, सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण के खाते में है। अन्य तथ्यों के मामले में जवाब अप्राप्त है (नवंबर 2016)।

3.1.5.2 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना नियमावली के अनुसार रसोई के उपकरण को बदलने हेतु 5000/- प्रति विद्यालय प्रावधान किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित राज्यों को अनुमोदित मद (अ) खाना बनाने के सामान (स्टोव, चूल्हा, इत्यादि), (ब) अनाज एवं अन्य सामग्री के भंडारण हेतु बर्तन एवं (स) खाना बनाने तथा परोसने का सामग्री पर व्यय संबंधी लचीलापन होगा।

मार्गदर्शिका अनुसार केंद्रीय अनुदान रसोई सामग्री क्य करने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग को अनुदान प्रदाय किया गया। बाद में राशि को विभिन्न विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। पांच खंड शिक्षा अधिकारी के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि विद्यालयों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र को खण्ड कार्यालय/जिला कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग/संस्था का नाम	वित्त वर्ष	रसोई सामग्री खरीदने के लिए स्वीकृत राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	अंकेक्षण का माह
1	खंड शिक्षा अधिकारी, केशकाल, कोडांगांव	2010–11 2014–15	6.80 5.61	सितंबर 2011 सितंबर 2015	प्रस्तुत नहीं किया गया	फरवरी 2016
2	खंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा	2013–14	7.07	सितंबर 2014	प्रस्तुत नहीं किया गया	सितंबर 2015
3	खंड शिक्षा अधिकारी, नवागढ़, जांजगीर	2013–14	5.63	सितंबर 2014	प्रस्तुत नहीं किया गया	जुलाई 2015
4	खंड शिक्षा अधिकारी, उभरा, जांजगीर	2012–13	4.62	सितंबर 2013	प्रस्तुत नहीं किया गया	जुलाई 2015
5	खंड शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद	2012–13	2.49	सितंबर 2014	प्रस्तुत नहीं किया गया	जून 2015
योग			32.22			

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एक से पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, रसोई सामग्री की क्य राशि ₹ 32.22 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया

गया। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अनुदान का उपयोग किया गया अथवा नहीं।

इंगित किये जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद द्वारा बताया गया कि सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान अध्यापक द्वारा जारी किए जाते हैं। शेष तथ्यों के बारे में विभागों द्वारा जवाब अप्राप्त था (नवंबर 2016)।

साथ ही यह भी पाया गया कि सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण, कोण्डागांव के द्वारा वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन बनाने की लागत तथा रसोईयां तथा सहायक की मजदूरी हेतु कोण्डागांव के विभिन्न विकास खण्ड को ₹ 3,995.45 लाख दिए। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा दिनांक तक अप्राप्त है (फरवरी 2016)। अतः यह निर्धारण करना संभव नहीं है कि निधि को उपयोग में लाया गया या अभी तक व्यर्थ पड़ा है।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि सभी विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी। जवाब से स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गये हैं, जबकि आगामी वित्त वर्ष के जून माह के अंत तक प्राप्त किया जाना चाहिए। स्मरण पत्र विभाग को जारी किया गया है। इस संबंध में जवाब अप्राप्त है (नवंबर 2016)।

- **सर्व शिक्षा अभियान** का उद्देश्य ऐसे स्थानों, जहां विद्यालयी सुविधा नहीं है, वहां पर नये विद्यालयों की स्थापना करना है तथा मौजूदा विद्यालयी आधारभूत संरचना को अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पीने का पानी, ग्राम्य विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर एकमुश्त अनुरक्षण अनुदान एवं विद्यालय सुधार अनुदान के द्वारा मजबूती प्रदान करना है।

इस योजना के जिला समन्वयक के द्वारा प्रशासनिक सहमति प्रदान करने के पश्चात् योजना के अभिकरणों अर्थात् ग्राम पंचायतों को अनुदान सशर्त प्रदान किया जाता है कि कार्य, अनुदान अनुमोदन के तीन माह के भीतर पूर्ण हो।

जनपद पंचायत धमतरी के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 के दौरान 80 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से लेखा परीक्षण माह (तिथि) तक 65 कार्य पूर्ण थे और 15 कार्य अपूर्ण पाये गये जबकि ₹ 40 लाख रुपये की धनराशि इन अपूर्ण कार्यों पर व्यय हुई थी। एक से तीन वर्ष की समाप्ति के बावजूद ये कार्य पूर्ण नहीं किये गये एवं संस्था के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत की गई।

इसे संज्ञान में लाने पर, धमतरी जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. ने बताया (नवंबर 2016) कि सभी अपूर्ण कार्य मई 2016 तक पूर्ण कर लिये गये थे एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी मई 2016 तक प्रस्तुत किये जा चुके थे। कार्यों पूर्ण होने में विलंब की अवधि की सीमा सात से तीस माह है।

- कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ₹ 10,000 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान किया जाता है, जिसे वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 15,000 कर दिया गया।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, जगदलपुर के लेखाओं (फरवरी 2016) के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 8.95 लाख आवंटित किये गये थे जिसमें से ₹ 7.15 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये परंतु एक से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संदर्भ में विभाग को एक स्मरण पत्र भी जारी किया गया जिसका जवाब अद्यतन स्थिति (नवंबर 2016) तक प्रतिक्षित है।

3.1.5.3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रु.सा.) योजना

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार ने मार्च 2014 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्षमता निर्माण और तैयारी के अवयव, आंकड़ों के संग्रह एवं योजना, संस्थागत पुनर्गठन एवं सुधार एवं प्रबंध की निगरानी मूल्यांकन एवं अनुसंधान हेतु छत्तीसगढ़ को ₹ 404.00 लाख की धनराशि आवंटित की।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुदानों के उद्देश्यपूरक उचित उपयोग के प्रमाण पत्र मंत्रालय को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। सूक्ष्म परीक्षण (सितंबर 2015) के दौरान ये पाया गया कि मंत्रालय को वर्ष 2013–14 के लिए सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 404.00 लाख में से ₹ 127.19 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय को 28.03.2015 को प्रस्तुत किये गये एवं ₹ 276.81 की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक उपयोग नहीं की गई। इस राशि के ₹ 104 लाख को 27 महाविद्यालयों एवं छ: विश्वविद्यालयों में इस योजना के तहत दिनांक 27.03.2015 को क्षमता निर्माण और योजना क्रियाकलापों हेतु व्यय किया गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षण माह (सितंबर 2015) तक नहीं प्राप्त हुआ। एम.एच.आर.डी. से अनुदान मिलने के एक साल बाद ₹ 104 लाख का अनुदान विभिन्न महाविद्यालयों को प्रदान किया गया, अतः उतने ही राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। साथ ही यह पाया गया कि शेष ₹ 172.81 लाख की अनुदान राशि विभाग के पास निष्क्रिय पड़ी रही। परिणामतः निधि को अवरुद्ध रखा गया एवं आर.यू.एस.ए. के तहत अनुदान राशि ₹ 276.81 लाख की सीमा तक उपयोग नहीं किया गया।

चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः अनुदानों की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जवाब में संयुक्त निदेशक ने बताया (सितंबर 2015) कि कार्यों के क्रियान्वयन में समय लगेगा तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सितंबर 2015 तक उपयोगिता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। उपरोक्त संदर्भ में विभाग को एक स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है, जिसका जवाब तत्कालीन स्थिति (नवंबर 2016) तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार यह तथ्य पूर्ववत ही रहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र को एम.एच.आर.डी. के निर्देशानुसार उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.1.5.4 रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा निधि का अवरोधन एवं अनुदानों का उपयोग न किया जाना

जिला नारायणपुर के कलेक्टर कार्यालय से लेखा एवं हकदारी कार्यालय को प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शीर्ष 41–2202–02–110–0102–307–14–001 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम से संबंधित तीन संस्थानों को वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान भुगतान किये गये सहायता अनुदानों में से कुछ अव्ययित शेष राशियां सरकार के खाते को समर्पित नहीं की गई हैं और ये राशियां अभी भी संस्थान के खाते में निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। विवरण तालिका 3.6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.6: निधि का अवरोधन एवं अनुदान अनुपयोगी रहना

(₹ लाख में)

संख्या	संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अव्ययित राशि
1	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण एवं सेवा संस्थान	2015–16	22.07	19.69	2.38
2	रामकृष्ण आश्रम, नारायणपुर	2015–16	726.77	694.16	32.61
3	श्री विवेकानंद शैक्षणिक परिसर, नारायणपुर	2015–16	51.62	46.93	4.69
योग			800.46	760.78	39.68

यह ₹ 39.68 लाख की निधि के अवरोधन के रूप में परिणित हुआ।

इसे इंगित करने पर सहायक निदेशक, लोक शिक्षण ने बताया कि विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण एवं सेवा संस्थान, जनजातिय विकास विभाग से संबंधित है और राशि संस्थान के पास पड़ी हुई है एवं इसे लेखापरीक्षा विभाग के संज्ञान में लाते हुए चालान के द्वारा विभाग शीर्ष में जमा करा दिया जायेगा एवं रामकृष्ण आश्रम एवं विवेकानंद शैक्षणिक परिसर, नारायणपुर के संदर्भ में ये बताया गया कि शेष राशि वर्ष 2016–17 में समायोजित की जाएगी।

2217 शहरी विकास विभाग

शहरी विकास विभाग में ₹ 2,201.18 करोड़ के वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कुछ डी.डी.ओ. के नमूना जाँच के फलस्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए:

- 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं पर की गई प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित तीन ईकाईयों को धनराशि स्वीकृत की गई जो तालिका 3.7 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.7: 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत निधि का अवरोधन

(₹ लाख में)

संख्या	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष	अवरुद्ध राशि
01	नगर निकाय, कोरबा	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई एवं सेनिटेशन इत्यादि	1,414.00	744.54	669.46	669.46
02	सी.एम.ओ., नगर पंचायत, घरघोड़ा	भागिरथी नल जल योजना	15.44	4.68	10.76	10.76
03	सी.एम.ओ., नगरपालिका परिषद, कुम्हारी, दुर्ग	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वाटर सप्लाई	35.00	29.88	5.12	5.12
योग			1,464.44	779.10	685.34	685.34

13वें वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार धनराशि को निर्धारित अवधि के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए तथा उपरोक्त तीन प्रकरणों में ₹ 685.34 की अव्ययित धनराशि को सरकारी खाते में जमा कर देनी चाहिए थी। लेकिन उपरोक्त प्रकरणों में कार्य अपूर्ण रहने के कारण, न तो राशि को पूर्णतः उपयोग किया गया ना ही सरकारी खाते को समर्पण किया गया। चूंकि अनुदानों को उपयोग नहीं किया जा सका अतः इससे संदर्भित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उपरोक्त प्रकरणों में कमशः जुलाई 2015 (कोरबा), फरवरी 2016 (घरघोड़ा) एवं मार्च 2016 (कुम्हारी, दुर्ग) के प्रत्येक के लेखा परीक्षण में इसे इंगित करने पर नगर पंचायत के सी.एम.

ओ. ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि अनुदान प्राप्ति में विलंब एवं अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से धनराशि समर्पित नहीं की गई। आगे भी विभाग को संस्मरण पत्र जारी किया गया किंतु तत्कालीन अवधि (नवंबर 2016) तक जवाब प्रतीक्षित था।

आगे सी.एम.ओ. कुम्हारी ने बताया कि ₹ 5.12 लाख की राशि में से ₹ 2.23 लाख वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान व्यय हुए एवं ₹ 2.89 लाख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्ययोजन की तैयारी हेतु तत्कालीन स्थिति (नवंबर 2016) तक लंबित था।

विभाग द्वारा अव्ययित अनुदानों के उपयोग के बारे में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने की असफलता एवं सरकारी खाते में धन राशि वापस जमा न करना प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रदर्शित करता है।

2515 अन्य ग्रामीण विकास

अन्य ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 1,167.79 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक लंबित है। कुछ नमूना जांच के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- **12वें वित्त आयोग** के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों के उपयोग स्वीकृत धनराशियों के अव्यय शेष राशियों को या तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरकार को समर्पित किया जायेगा अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार अगले वर्ष के अनुदान में समायोजित, अगर कोई हो, किया जा सकता है।

12वें वित्त आयोग के अवधि का क्रियान्वयन 2005 से 2010 तक था। 12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों की शेष राशियों को वित्त आयोग की समाप्ति के पश्चात् सरकारी खाते में समर्पित किया जाना चाहिए।

(अ) मई 2015 में सी.ई.ओ., जनपद पंचायत अभनपुर के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ₹ 7.37 लाख 21.10.2013 तक कैश बुक में अंत शेष के रूप में पड़े हुए थे जबकि सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं वित्त आयोग की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सरकारी खाते में धनराशि को वर्ष 2015–16 तक समर्पित नहीं किया गया। विभाग को इस संदर्भ में स्मरण पत्र भी जारी किया जा चुका है, जिसका जवाब (नवंबर 2016 तक) प्रतीक्षित है।

इसे इंगित करने पर सी.ई.ओ. ने (नवंबर 2016) बताया कि ₹ 7.37 लाख की धनराशि को दिनांक 22.11.2016 को जिला पंचायत को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। फिर भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि धनराशि को वर्तमान स्थिति तक सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है।

(ब) **12वें वित्त आयोग** के अनुशंसा के आधार पर राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अंतर्गत, ₹ 39.20 लाख विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बसना जिला–महासमुंद को स्वीकृत किये गये। जिसमें से ₹ 21.99 लाख व्यय के रूप में शामिल थे एवं ₹ 17.21 लाख वर्ष 2009–10 के बही खाते में अंतःशेष के रूप में पड़े थे। आगे इस राशि को वित्तीय वर्ष 2010–11 के योजनाओं में उपयोग किया गया जो अनियमित है। आगे यह भी पाया गया कि इस योजना में ₹ 19.84 लाख की कुल धनराशि दिनांक 21.05.2015 तक बैंक खाते में ही पड़ी हुई थी।

लेखा परीक्षण में इसे इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शेष राशि को 12वें वित्त आयोग की समाप्ति पर सरकारी खाते में समर्पित नहीं किया गया एवं उपरोक्त राशि को अगले वित्त वर्ष 2010–11 में अनियमित व्यय किया गया। विभाग को एक स्मरण पत्र भी जारी किया जा चुका है, जिसका जवाब (नवंबर 2016 की स्थिति तक) प्रतीक्षित है।

- 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य विशिष्ट जरूरतों के अंतर्गत निम्नलिखित तीन नमूना जाँच इकाइयों को अनुदान स्वीकृत की गई जो तालिका 3.8 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.8: 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत निधि का अवरोधन

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष	अवरुद्ध राशि
01	सी.इओ, जनपद पंचायत, बसना	विभिन्न निर्माण कार्य	40.65	19.75	20.90	20.90
02	सी.इओ, जनपद पंचायत, कुरुद	विभिन्न निर्माण कार्य	789.14	699.84	89.30	89.30
योग			829.79	719.59	110.20	110.20

13वें वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार अनुदानों को तय अवधि के अंदर उपयोग कर लिया जाना चाहिए एवं उपरोक्त दोनों प्रकरणों में ₹ 110.20 लाख की शेष अव्ययित राशि को सरकारी खाते में जमा करा देना चाहिए था। तथापि, दोनों में से प्रत्येक प्रकरणों में कार्य पूर्ण न होने की वजह से न तो धनराशि को पूर्णतया उपयोग किया गया और ना ही सरकारी खाते में समर्पित किया गया। चूंकि अनुदानों को उपयोग नहीं किया जा सका अतः इन कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

जून 2015 (बसना) एवं सितंबर 2015 (कुरुद) के लेखा परीक्षण में इसे इंगित करने पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने आपत्ति से सहमत होते हुए बताया कि अनुदानों के मिलने में देरी एवं अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से धनराशि को समर्पित नहीं किया जा सका। तथापि, जवाब नवंबर 2016 की स्थिति तक प्रतीक्षित है।

अव्ययित अनुदानों के उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश दे पाने में विभाग की असफलता एवं इस धनराशि को सरकारी खाते में समर्पित न कर पाना प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है।

3.1.5.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में प्रदर्शित है, विभिन्न योजनाओं के 64 प्रकरणों के लिए ₹ 48.79 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत हुए थे। परंतु उपयोगिता प्रमाण पत्र 20 महीनों के विलंब से दिनांक 20.05.2016 को प्राप्त हुए।

साथ ही, सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र के फार्म 19ए के अनुसार देना चाहिए था, जिसे विभाग द्वारा संकलित नहीं किया गया।

इन बड़ी धनराशियों को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब विभागीय अधिकारीयों के निश्चित उद्देश्यों हेतु प्रदत्त अनुदानों की समयबद्ध उपयोगिता सुनिश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन करने में असफलता को प्रदर्शित करता है।

3.1.6 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के गठन का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। चुने हुए जिलों में विकास के लिए दी जाने वाली राशि के प्रवाह में वृद्धि करने तथा उसे समन्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ा जा सके जो मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ठीक नहीं हो पा रही है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत और नगरपालिका स्तर की शासन व्यवस्था को क्षमता सृजन के माध्यम से पर्याप्त सुदृढ़ करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोजन, निर्णय करने, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद मिले ताकि स्थानीय आवश्यकताओं, क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में पेशेवर सहायता उपलब्ध कराया जा सके। पिछड़ा क्षेत्र

अनुदान निधि विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से अधूरी महत्वपूर्ण ढांचागत (विकास) अंतराल और भागीदारी विकास प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के दोहरे उद्देश्य के साथ किया गया है। अल्पावधि में, कार्यक्रम के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने और स्थानीय संस्थाओं के विकास की योजना बनाने की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए करना है। लम्बी अवधि में, इसका उद्देश्य, क्षेत्र में गरीबी कम करके एवं आजीविका की दशा में सुधार कर जिले/क्षेत्र के संपूर्ण पिछड़ेपन को कम करना है।

3.1.6.1 विलंब/उपयोगिता प्रमाण पत्र का अप्रस्तुतीकरण

बी.आर.जी.एफ योजना में कार्यों की स्वीकृति के प्रशासनिक आदेशानुसार यह निर्देश दिया गया कि स्वीकृति के 90 दिनों के अंदर कार्यों को पूर्ण करके उनका मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जिला पंचायत, बिलासपुर के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान प्रकट हुआ कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि से संबंधित 390 कार्य तत्कालीन तिथि तक अपूर्ण थे। इसके लिए बी.आर.जी.एफ. योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को ₹ 2,034.60 लाख स्वीकृत हुए थे, जिसमें से ₹ 1,890.35 लाख व्यय हुए थे। तत्कालीन तिथि तक ₹ 144.25 लाख की राशि अव्ययित रही थी। यह अनुदानों की उपयोगिता के विलंब के रूप में परिणित है।

लेखा परीक्षण (नवंबर 2016) में इसे इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि अक्टूबर 2016 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे।

यह जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इन पूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नवंबर 2016 तक प्राप्त नहीं हुए थे। आगे, यह भी है कि कार्यों को निर्धारित तीन माह की अवधि में पूरा करना था जो कि दो से पांच वर्षों की अतिरिक्त समयावधि की समाप्ति के पश्चात् पूर्ण किया गया।

3.1.6.2 निधि का अवरोधन

जनपद पंचायत, नगरी के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 2013–14 की अवधि के दौरान बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत 103 कार्यों के लिए ₹ 430.27 लाख स्वीकृत हुए थे, जिसके विरुद्ध ₹ 397.67 लाख प्राप्त हुए। सभी कार्य ₹ 379.24 लाख के व्यय में पूर्ण हो चुके थे एवं ₹ 18.43 लाख की अव्ययित धनराशि दिसंबर 2015 तक खाते में पड़ी हुई थी। इस धनराशि को सरकारी खाते में समर्पित किया जाना चाहिए था। परंतु इसे समर्पित नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 18.43 लाख की निधि अवरुद्ध रही।

इसे इंगित करने पर जनपद पंचायत, नागरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आपत्ति से सहमत होते हुए बताया कि धनराशि को सरकारी खाते में शीघ्र ही समर्पित कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग को एक स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है, जिसका जवाब नवंबर 2016 की स्थिति तक प्रतीक्षित है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति से संबंधित एक नमूना जांच एवं एक विस्तृत समीक्षा से यह प्रदर्शित हुआ कि तीन विभागों (2202—सामान्य शिक्षा, 2217—नगरीय विकास विभाग, 2515—अन्य ग्रामीण विकास) के क्रमशः ₹ 574.58 लाख, ₹ 2,201.18 लाख ₹ 1,167.79 लाख के मूल्य के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अक्षमता दर्शाती है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.2.1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थाओं/संगठनों को चिन्हित करने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किये गये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्य एवं संस्थाओं के कुल व्यय का एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष के द्वारा लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में उल्लेख है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो संस्थाओं या प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई अंत तक (क) सहायता की राशि (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, कि एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगा।

छत्तीसगढ़ के मात्र 19 संस्थाओं ने ही वर्ष 2015–16 की जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि परिशिष्ट 3.4 में संलग्न है। इस प्रकरण को मई 2016 में वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था। नवंबर 2016 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

राज्य के वित्त लेखों वर्ष 2015–16 से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गये 66 निकायों/संस्थानों में से 14 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नवंबर 2016 तक विभिन्न अवधियों में की गई, जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के प्रस्तुत न किये जाने के कारण विधानमंडल/सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को कमज़ोर बनाता है।

3.2.2 नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा 49 स्वायत्त निकायों को विभिन्न क्षेत्र में जैसे की कृषि, कानून, आवास, ग्रामीण विकास, वन और व्यावसायिक इत्यादि में प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य की 25 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। 25 स्वायत्त निकायों में से 22 स्वायत्त निकाय जो कि सरकारी कंपनी एवं निगमों से संबंधित हैं, कि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया गया है और उनकी लेखापरीक्षा उनके लेनदेन, परिचालन गतिविधियाँ, वार्षिक खाता, प्रणालियों के नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर संपादन किया जाता है। सौंपे गये लेखापरीक्षा की स्थिति, लेखाओं का प्रतिपादन तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने की जानकारी परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है।

परिशिष्ट 3.6 में दर्शाये अनुसार नौ प्रकरणों में लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब हुआ, तीन प्रकरणों में एस.ए.आर. को विधान सभा के पटल में प्रस्तुत करने में अत्यधिक

विलंब हुआ एवं 17 प्रकरणों में एस.ए.आर को विधान सभा के पटल में प्रस्तुत ही नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायें जहाँ सरकारी राशि निवेशित हैं के वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करने एवं उन निकायों के कामकाज के जांच में देरी हो रही थी।

3.3 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.को.सं.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक आकस्मिक देयक में चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित पूर्व माह के सभी संक्षिप्त देयकों के लिए विस्तृत देयकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के पूरक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आगामी माह के पांचवीं तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक विस्तृत आकस्मिक देयक को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय में पारदर्शिता नहीं होती है। दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति में वर्ष 2015–16 में आहरित ₹ 645.86 करोड़ राशि के 303 ए.सी. देयक लंबित थे।

वर्षवार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों के जमा करने में विलम्ब की जानकारी वर्ष 2011–16 के लिए तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी. देयक		वर्ष के दौरान जमा किए गए डी.सी. देयक		बकाया ए.सी. देयक		(₹ करोड़ में) बकाया डी.सी. देयक प्रतिशत में
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	
2011–12	70	4.53	208	6.93	278	11.46	0	0	0
2012–13	0	0	206	6.22	106	1.93	100	4.29	68.97
2013–14	100	4.29	378	472.25	391	413.41	87	63.13	13.37
2014–15	87	63.13	412	733.31	479	717.06	20	79.37	10.82
2015–16	20	79.37	1418	5,491.72	1135	4,925.23	303	645.86	11.76
योग	277	151.32	2622	6,710.43	2389	6,069.09	510	792.65	11.81

(झोल: वित्त लेखे वर्ष 2015–16 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा संग्रहित जानकारी)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान सबसे ज्यादा संक्षिप्त देयक आहरित किए गए। 31 मार्च 2016 तक, 303 विस्तृत देयक लंबित थे। कुल ₹ 645.86 करोड़ के 303 संक्षिप्त आकस्मिक देयक मुख्यतः खाद्य संरक्षण एवं माल भंडारण (₹ 338.24 करोड़), ऊर्जा (₹ 281.02 करोड़), उद्योग (₹ 9.68 करोड़), लौह एवं इस्पात पर पूँजीगत व्यय (₹ 9.00 करोड़) तथा ग्राम एवं लघु उद्योग (₹ 7.80 करोड़) के थे। मुख्य शीर्षवार बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयक जिसके विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, का विवरण परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 में संक्षिप्त आकस्मिक देयक पर निकले गए ₹ 5,491.72 करोड़ में, ₹ 266.14 करोड़ (4.85 प्रतिशत) ए.सी. देयक, मार्च 2016 के माह में ही आहरित किये गये थे, जिनमें ₹ 37.94 करोड़ (0.69 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर आहरित किया गया था। ए.सी. देयक पर आहरित महत्वपूर्ण व्यय यह

दर्शाता है कि यह मुख्य तौर पर बजट को समाप्त करने के लिए था तथा यह अपर्याप्त बजटीय योजना को दर्शाता है।

पूर्व में आहरित किये ए.सी. देयक के विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा किए बिना ए.सी. देयक आहरित करना, प्रावधान के विरुद्ध है जैसा कि उपरोक्त वर्णित है। सूक्ष्म परीक्षण में यह ज्ञात हुआ कि इन विभागों के सारे देयक सहायक अनुदान से संबंधित थे। सहायक अनुदान आकस्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं और उन्हें सहायक अनुदान देयकों पर आहरित करना चाहिए।

चूंकि डी.सी. देयक नियंत्रण अधिकारी द्वारा जमा नहीं किया गया था, इसलिए ए.सी. देयक पर आहरण के कारण राज्य का व्यय उस वर्ष के दौरान अधिक बताया गया।

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते की जांच

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते एक ऐसा जमा खाता है जो प्रशासकों के नाम से कोषालय में रखा जाता है। धन को 8443–सिविल जमा–106–व्यक्तिगत जमा के तहत रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग के अनुमोदन से खोले जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता नियम–543 के अनुसार पीडी खातों के रखरखाव के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में, पीडी खाते राज्य की संचित निधि को आंकलित कर खोले जाने के लिए अधिकृत हैं। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व में सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। पीडी खाते की शेष राशि को शासकीय खातों में संचित निधि में जमा करने की कार्यवाही वर्ष के समाप्ति के पूर्व को किया जाना चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2016 में विभिन्न मुख्य शीर्ष से ₹ 3.04 करोड़ राशि निकाल कर व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किये गये जिसका विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 3.8 में दी गई है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस प्रकार का स्थानांतरण बजट प्रावधानों की व्यपगत होने से बचाव की ओर इंगित करता है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पीडी खाते में लेन–देन का वर्षवार विवरण तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: राज्य की पीडी खाते की शेष का वर्षवार विवरण वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष में वृद्धि / प्राप्तियां		वर्ष के अंत शेष / वितरण		बकाया		(₹ करोड़ में)
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2011–12	153	496.30	0	4,669.96	10	437.08	143	729.22	
2012–13	143	729.22	01	25.00	07	148.43	137	605.79	
2013–14	137	605.79	209	1,388.51	24	328.68	322	1,665.62	
2014–15	322	1,665.62	37	640.52	135	675.32	224*	1,630.82	
2015–16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46	
योग		252			201				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* 31 मार्च 2015 के अंतर्शेष की संख्या एवं 01 अप्रैल 2015 के प्रारंभिक शेष की संख्या में अंतर पुनर्मिलान के कारण हुआ है।

अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान 252 पीडी खाते खोले गये तथा 201 बंद किये गये। 31 मार्च 2016 की अवधि में 292 पीडी खाते प्रचलन में थे।

पीडी खाते में अंत शेष यह दर्शाता है कि नियमानुसार प्रशासक द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बंद नहीं किया गया है। क्योंकि पीडी खाते में राशि का स्थानांतरण राज्य के संचित निधि से अंतिम खर्च को बताता है, पीडी खाते के बंद न होने के फलस्वरूप संचित निधि से खर्च के आधिक्य को दर्शाता है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पीड़ी खाते में कुल शेष तालिका 3.10 में दिया गया है।

उपर दिये गये तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पीड़ी खाते में अंतिम शेष राशि ₹ 729.22 करोड़ से बढ़कर ₹ 1696.46 करोड़ तक हो गया है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 584 से 590 के नीचे राज्य शासन के निर्देशानुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष एवं मार्च माह के धन एवं ऋण ज्ञापन के अनुसार अंतिम शेष बराबर है, यदि इसमें अंतर हो तो अंतर की राशि का समाधान तत्काल किया जावे। परंतु 31 मार्च 2016 के अवधि में राशि ₹ 17.52 करोड़ का पुनर्मिलान नहीं किया गया। पीड़ी खाते का कोषालय खाते के साथ नियमित पुनर्मिलान कराना संबंधित प्रशासक की जिम्मेदारी होती है।

31 मार्च 2016 की स्थिति में पीड़ी खाते प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रशासकों से संबंधित है:

तालिका 3.11: 31 मार्च 2016 की स्थिति में पीड़ी खाते में अंतर्शेष के साथ प्रशासकों के नाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रशासकों के नाम	राशि
1	भू—अर्जन अधिकारियों (कलेक्टरों, उपसंभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों)	1414.99
2	सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास	57.76
3	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	83.24
4	संभागीय वन अधिकारियों	62.75
5	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं—1, रायगढ़	15.01
6	अधीक्षक जेल	14.19

(स्रोत: माह मार्च 2016 के धन ऋण ज्ञापन)

बकाया शेष मुख्य रूप से भू—अधिग्रहण मुआवजा, आश्रमों एवं छात्रावास का निर्माण कार्य, प्रक्रिया शुल्क दोहन की पंजीयन शुल्क, परिवहन, पेड़ कटाई, सीमांकन, मुनारा का निर्माण तथा कैदी के मजदूरी को पीड़ित परिवार को देना एवं खाद्य सुरक्षा निधि आदि।

वर्षों से जमा खाते में शेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है एवं शेष राशि को वापस करने के लिए प्रावधानों का पालन करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक था।

3.5 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि लोक धन की हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हानि को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में विभागों को विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 2,218 लंबित प्रकरणों में ₹ 117.02 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2016 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित था। ऐसे लंबित प्रकरणों का विभागवार तथा श्रेणीवार स्थिति परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी एवं हानि के लंबित प्रकरण को तालिका 3.12 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की अवधि		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	493	7,169.65
5 – 10	450	3,094.69
10 – 15	287	508.39
15 – 20	254	510.85
20 – 25	368	293.54
25 एवं उससे अधिक	366	125.75
योग	2218	11,702.87

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
चोरी	114	51.41
संपत्ति / सामग्रियों की हानि	2033	11,419.37
गबन	71	232.09
कुल लंबित प्रकरण	2218	11,702.87

आगे विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित है उनको तालिका 3.13 में पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.13: हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण

(₹ लाख में)

क्र.	प्रकरण विलम्ब / लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	प्रत्याशित विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान	3	3.14
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अनिर्णित नहीं	717	1,786.79
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन प्रमाणिक प्रकरण की राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	1	0.01
4	वसूली / अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1454	9,831.61
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	43	81.31
	योग	2218	11,702.87

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2,218 लंबित प्रकरणों में 1,454 प्रकरण (65 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 9,831.61 लाख था, विभागों/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन आदेश न जारी किए जाने के फलस्वरूप लंबित था। यह इंगित करता है कि विभागों/शासन के द्वारा विलंब से कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय धन की वसूली या प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया।

इसके अलावा ₹ 1,786.79 लाख की 717 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जो 31 मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं हो पाया।

विभिन्न विभागों के 51¹ प्रकरणों से संबंधित कुल मूल्य ₹ 13.04 लाख वसूली कर वर्ष 2015–16 शासकीय खातों में जमा किया गया। संपूर्ण जानकारी परिशिष्ट 3.11 में दर्शायी गई है।

3.6 लघु शीर्ष “800–अन्य प्राप्तियाँ” एवं “800–अन्य व्यय” के अंतर्गत समायोजन

चूंकि सरकार की अधिकांश गतिविधि संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची जो कि महालेखानियंत्रक द्वारा पारित है, में उल्लेखित है, बजट नियंत्रक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु शीर्ष “800–अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय” का परिचालन कम से कम हो। वर्ष 2015–16 के वित लेखे की जाँच में पाया गया कि 41 मुख्य शीर्षों में प्रमाणित ₹ 1,012.06 करोड़, जो कि पूर्ण व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 3.48 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष “800–अन्य व्यय” में वर्गीकृत किया गया है।

¹ वन 36 प्रकरण (₹ 12.00 लाख), पुलिस 13 प्रकरण (₹ 0.77 लाख), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एक प्रकरण (₹ 0.26 लाख) तथा स्कूल शिक्षा एक प्रकरण (₹ 0.02 लाख)

यह भी देखा गया है कि वित्त लेखे (राजस्व एवं पूंजीगत) के पांच मुख्य शीर्षों² में ₹ 856.08 करोड़, जो कि कुल व्यय (₹ 1,117.28 करोड़) का 77 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय में वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के कुल व्यय का 62 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में उल्लेखित है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों का ₹ 7,707.13 करोड़, जो कि मुख्य शीर्षों की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 30,367.59 करोड़) का 25.38 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियों” में वर्गीकृत किया गया है। 16 मुख्य शीर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 9,205.05 करोड़ में से ₹ 6,280.27 करोड़ (68.23 प्रतिशत) को लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियों” में वर्गीकृत किया गया। लघु शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 से 124 प्रतिशत के बीच रहा। विवरण परिशिष्ट 3.13 में दर्शाया गया है।

जांच में यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 4700—मुख्य सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय एवं 4701—मध्यम सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय, निर्माण कार्य जैसे सेतु एवं संबंधित कार्य जो कि क्रमशः ₹ 470.53 करोड़ (79.81 प्रतिशत) एवं ₹ 54.25 करोड़ (81.69 प्रतिशत) को लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया। यह लघु शीर्ष—051—निर्माण में दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 3275—अन्य संचार सेवायें जैसे लैपटॉप/टैबलेट, स्वान परियोजना, डिजिटल शासन, ई—जिला परियोजना, वाई—फाई शहर परियोजना इत्यादि पर ₹ 120.79 करोड़ (100 प्रतिशत) व्यय को लघु शीर्ष 101 या 102 के बजाय लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया, जो कि अनियमित था।

लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियाँ” एवं “800—अन्य व्यय” में दर्ज की गई अधिक मात्रा की राशि, वित्त प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है क्योंकि यह लेखे में शासन के विभिन्न गतिविधियों का अलग—अलग जानकारी इंगित करने में विफल रहता है।

3.7 राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण

भारतीय लेखा नियम 1990 में नियम 30 एवं सी.जी.एफ.सी. के कंडिका 324 में उल्लेखित है कि किसी व्यय की किस तरह समेकित निधि के राजस्व या पूंजीगत शीर्ष में वर्गीकृत करना है।

1 पूंजीगत व्यय के संबंध में मोटे तौर पर परिभाषित है कि ऐसा खर्च जो ठोस एवं स्थायी परिसंपत्ति को बढ़ाने के लिए हो उसे पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकृत किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय अथवा स्थानीय निकायों अथवा संस्थाओं को सहायता अनुदान पर व्यय जो की उस निकाय या संस्था की संपत्ति बनाने के लिए किया गया हो उसको आम तौर पर पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महाराजा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत मामलों को छोड़कर पूंजीगत खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा।

2 बजट ऑकलन एवं शासकीय लेखे दोनों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा।

3 अस्थायी संपत्ति पर व्यय को आमतौर पर पूंजीगत व्यय के प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता।

4 पूंजीगत और राजस्व खातों के बीच एक पूंजीगत योजना पर होने वाले खर्च के आवंटन का मुख्य सिद्धांत है:- (अ) पूंजीगत खाते को प्रथम निर्माण और उपकरण के खर्च तथा प्रोजेक्ट चालू होने से पहले का रख—रखाव को वहन करना चाहिए। यह आगे का परिवर्धन और सुधार का खर्च भी नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुसार किए गए वहन करना चाहिए। (ब) प्रोजेक्ट खोलने के बाद का रख—रखाव तथा सभी काम

² 1. सामान्य विविध सेवाओं, 2. अन्य संचार सेवाओं 3. मध्यम सिंचाई 4. मुख्य सिंचाई
5. उर्जा परियोजना पर पूंजीगत व्यय

कर रहे खर्च को राजस्व खाता ही वहन करेगा। परियोजना के काम करने और रखरखाव पर किये गये सभी व्यय तथा सरकार द्वारा निर्धारित नवीनीकरण और प्रतिस्थापना इसके अलावा सुधार या विस्तार पर खर्च को भी राजस्व खाते के नामें किया जायेगा।

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि को दर्शाता है। भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 के अनुसार सहायक अनुदान पर व्यय का वर्गीकरण, अंतिम उपयोग को, राजस्व व्यय में किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ शासन ने गलत तरीकों से सरकारी अनुदान राशि जो कि परिसंपत्ति निर्माण के लिए था, ₹ 1,349.92 करोड़ (**परिशिष्ट 3.14**) का बजट आंकलन में, उसके समावेशन को पूँजीगत मुख्य शीर्ष में किया जबकि इसको राजस्व शीर्ष में करना चाहिए था।

वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ शासन के स्वीकृति आदेश की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कार्य जिसके लिए स्वीकृति आदेश दिया गया था, वे राजस्व स्वभाव के थे और उनको पूँजीगत क्षेत्र में लिया गया एवं पूँजीगत कार्य को राजस्व क्षेत्र में लिया गया। यह शासन वित्तीय नियमों का उल्लंघन था एवं यह अनियमित था। खर्च की स्वीकृति की गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.66 करोड़ राजस्व में कमी/पूँजीगत व्यय में वृद्धि एवं ₹ 6.21 करोड़ की पूँजीगत व्यय में कमी/राजस्व व्यय में वृद्धि हुआ है। जानकारी **परिशिष्ट 3.15** में दी गई है।

3.8 विविध लोक निर्माण अग्रिम के समायोजन

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, कंडिका 13.4 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण विभाग को विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा संधारण करना चाहिए। विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा एक उचन्त लेखा है जो कि (1) उधार बिक्री³ (2) जमा कार्यों में प्राप्ति से अधिक व्यय (3) हानि, अपवर्तन, त्रुटि, इत्यादि⁴ (4) अन्य मदों में व्यय⁵ कि लेन-देनों का लेखा रखा जाता है। वसूली योग्य राशि जिनका वसूली नहीं हो सकता है उन राशि को किसी अन्य मदों में स्थानांतरित अथवा अपलेखन नहीं किया जा सकता जब तक कि इस हेतु आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो। जमा कार्यों को छोड़कर किसी राशि जैसे कि स्वीकृति का अभाव, असम्पूर्ण स्वीकृति अथवा विनियोजन के अभाव के कारण उचन्त लेखे में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। विविध लोक निर्माण अग्रिम के मुख्य शीर्ष 2059–799–उचन्त लेखा के अंतर्गत में विकलन होगा एवं विविध लोक निर्माण अग्रिम के विस्तृत लेखा फार्म 67 “उचन्त लेखा पंजी” में रखा जायेगा। ऐसे मदों पर व्यय जो कि जमा कार्यों पर प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय के श्रेणी में आते हैं उनके विस्तृत विवरण इस खाते में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जमा कार्यों पर व्ययों के लेखा-जोखा पृथक रूप से जमा कार्यों के अनुसूची (फार्म 65) में रखा जाता है। अन्य तीनों मदों के लिए पृथक फोलियों आरक्षित कर विस्तृत रूप से रखा जाना चाहिए जिससे प्रत्येक मदों को व्यक्तिगत रूप से समायोजन हेतु निगरानी किया जा सके। सभी वर्गों के समग्रता को दर्शाते हुए सार तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वर्गों के सभी मदों का विवरण बनाना चाहिए ताकि समायोजन की व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके।

³ उधार बिक्री— जब भंडार की किसी सामग्री को उधार पर बेचा जाता है तो उसकी कीमत एवं पर्यवेक्षण व्यय यदि वसूली योग्य हो आदि विविध लोक निर्माण अग्रिम के (उधार बिक्री) मद में भारित किया जायेगा जिससे कि भंडार-लेखा सटिक रूप से रखा जा सके एवं व्यक्ति अथवा विभाग से वसूली योग्य राशि की निगरानी की जा सके।

⁴ हानि, अपवर्तन, त्रुटि इत्यादि— प्रकरण जैसे कि (क) नगद या भंडार में कमी, (ख) नगद या भंडार का वास्तविक हानि, (ग) समायोजन हेतु अपेक्षित लेखा में त्रुटि, (घ) शासकीय सेवक से वसूली योग्य अपवर्तन एवं हानि प्रकरण आदि।

⁵ अन्य मदों में व्यय— ऐसे मदों में व्यय जिनका शीर्ष ज्ञात न हो एवं वसूली हेतु अपेक्षित हो।

3.8.1 असमायोजित विविध लोक निर्माण अग्रिम (एम.पी.डब्ल्यू.ए.) की स्थिति

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को तीन विभाग द्वारा जमा किए गए मासिक लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 तक विविध लोक निर्माण अग्रिम के तहत ₹ 118.12 करोड़⁶ असमायोजित पड़े थे। जिसका विवरण परिशिष्ट 3.16 में दिया गया है। तीन⁷ निर्माण विभाग की लंबित एम.पी.डब्ल्यू.ए. अग्रिम की वर्षवार जानकारी तालिका 3.14 में दी गई है।

तालिका 3.14: वर्षवार लंबित एम.पी.डब्ल्यू.ए. लेखाओं को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग			योग
	लोक निर्माण विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	जल संसाधन विभाग	
2013–14	60.30	27.93	44.16	132.39
2014–15	59.98	28.35	42.24	130.57
2015–16	50.53	27.16	40.43	118.12

तीन निर्माण विभाग उच्चत शीर्ष को समाशोधन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहा। उचित अवधि के बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग की राशि न तो समायोजित की गई और न ही वसूली की गई।

3.9 कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग

3.9.1 परिचय

कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, सनिर्माण पर उपकर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए अधिनियमित किया गया। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 (1) के प्रयोजनों के लिए उपकर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किसी नियोजक द्वारा उपगत सनिर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनाधिक किन्तु एक प्रतिशत से कम नहीं के दर से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय समय पर विनिर्दिष्ट करें। तदनुसार राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 बनाया गया एवं दिनांक 13 जून 2008 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन सितम्बर 2008 किया गया। मण्डल इस प्रकार संग्रहित निधि का उपयोग कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के उद्देश्य हेतु करेगा।

भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने सभी श्रम निरीक्षकों एवं श्रम उपनिरीक्षकों को उपकर संग्रहण अधिकारी और सभी सहायक श्रम आयुक्तों एवं श्रम अधिकारी को, आंकलन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 2011–16 के दौरान मण्डल द्वारा 22 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जो परिशिष्ट 3.17 में दर्शाया गया है।

3.9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग की लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- बकाया निधि का उचित रूप से संग्रहण, जमा एवं इच्छित उद्देश्य हेतु उपयोग।
- क्या निधि निष्क्रिय या अप्रयुक्त पड़ी हुई है

⁶ लोक निर्माण विभाग (₹ 50.53 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 40.43 करोड़), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (₹ 27.16 करोड़)

⁷ लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

3.9.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग पर लेखापरीक्षा सितम्बर–अक्टूबर 2016 के दौरान संपादित किया गया। 27 जिला कोषालयों में से सात⁸ संबंधित जिलों के अधिकातम आबंटन के आधार पर चयनित किये गये थे। चयनित सात जिलों के वर्षवार आबंटन, व्यय और शेष का विवरण परिशिष्ट 3.18 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा मानदंड विभिन्न आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, श्रम विभाग, वित्त विभाग और श्रम कल्याण मण्डल के निर्देशों एवं लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग के मासिक लेखों/फार्म–79 के आधार पर निर्धारित किए गये हैं।

3.9.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.9.4.1 वित्तीय प्रबंधन

अधिनियम के अनुसार, संगृहीत उपकर भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को देय है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा संगृहीत उपकर मण्डल को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भेजे गये थे या जिला श्रम कार्यालयों के उद्देश्य हेतु खोले गये मण्डल के बचत खाते में जमा किये गये थे। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में उपकर प्राप्ति एवं व्यय की वर्षवार जानकारी तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: कर्मकार उपकर की वर्षवार प्राप्ति और उपयोगिता

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	उपार्जित व्याज /अन्य प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) उपलब्ध निधि की उपयोगिता का प्रतिशत
2011–12	38.64	62.40	2.78	103.82	12.26	91.56	11.81
2012–13	91.56	85.27	6.28	183.11	57.91	125.20	31.63
2013–14	125.20	134.81	9.81	269.82	104.23	165.59	38.63
2014–15	165.59	131.92	13.71	311.22	62.98	248.24	20.24
2015–16	248.24	126.90	21.36	396.50	121.95	274.55	30.76

(स्रोत : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)

तालिका से देखा जा सकता है कि मण्डल उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सका तथा अवधि 2011–16 के दौरान उपलब्ध निधि की उपयोगिता का प्रतिशत 11.81 से 38.63 के बीच था एवं वर्ष 2011–12 में विभिन्न योजनाओं में उपयोगिता का प्रतिशत बहुत ही कम था।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि व्यय का प्रतिशत की गणना संबंधित वर्ष के केवल कुल प्राप्तियों के आधार पर किया गया और उसके अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 में व्यय कम था। आगे यह भी कहा कि अधिकांश योजनाओं जैसे— विवाह सहायता, प्रसुति आदि में अनुग्रह राशि का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका और लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ही भुगतान किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विगत वर्षों की बड़ी धनराशि उपलब्ध थी लेकिन असंगत योजना एवं लक्ष्यों के निर्धारण के कारण, उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.9.4.2 चेक अस्वीकृत होने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की निधियों का मण्डल के खाते में जमा नहीं होना।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (सितम्बर 2009) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत संगृहीत उपकर को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मण्डल के खाते में जमा किया जाना चाहिए एवं पुनः जून 2013 में जारी आदेशानुसार संगृहीत राशि को मण्डल के खाते में या तो बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि अपर्याप्त धन, कालातित चेक एवं हस्ताक्षर में अंतर इत्यादि कारण से वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में राशि ₹ 10.16 करोड़ का चेक अस्वीकृत हुआ जो सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी और अन्य विभागों एवं अभिकरणों से प्राप्त किए गए थे। ये चेक पुनर्वैधीकरण/संशोधन के लिए वापस किए गए थे जिसमें से ₹ 4.08 करोड़ के चेक पुनर्वैधीकरण/संशोधन किये गये तथा शेष राशि ₹ 6.08 करोड़ अभी भी समाशोधित नहीं हुए हैं। वर्ष 2011–12 में समाशोधन का प्रतिशत बहुत कम (0.46 प्रतिशत) था तथा अवधि के दौरान 0.46 प्रतिशत से 96.37 प्रतिशत के बीच रहा (परिशिष्ट 3.19)। इस प्रकार उपरोक्त राशि बोर्ड निधि का हिस्सा नहीं हुआ जो श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित किया गया था और इस प्रकार ₹ 6.08 करोड़ का नुकसान हुआ।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि अस्वीकृत चेक के बदले में नया चेक प्रस्तुत करने हेतु सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं। यह भी कहा गया कि संबंधित सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी को समय समय पर संशोधित चेक जमा करने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया तथा जिन संस्थाओं/व्यक्तिओं के चेक अस्वीकृत थे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

3.9.4.3 अपात्र महिला श्रमिकों को ₹ 81.25 लाख का अनियमित भुगतान।

अधिसूचना क्रमांक 12, दिनांक 27 नबंवर 2012 तथा पुनः संशोधित (अधिसूचना क्रमांक 29, दिनांक 01 जून 2013) के अनुसार 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के पंजीकृत महिला श्रमिक मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत लाभ के लिए पात्र थे।

मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि अपात्र महिला श्रमिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से ज्यादा थी, कुल 2963 सायकल वितरित किये गये इसकी जिलावार जानकारी परिशिष्ट 3.20 में दर्शाया गया है। इस प्रकार से योजना के तहत सायकल की अनियमित मंजूरी के कारण ₹ 81.25 लाख मूल्य के सायकल (2963*2742 प्रति सायकल) का अनियमित वितरण किया गया।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्तों एवं श्रम अधिकारियों की सत्यापन एवं आवश्यक सुधार हेतु पत्र जारी किया गया है तथा 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3.9.4.4 अपात्र पुरुष श्रमिकों को ₹ 4.41 लाख का अनियमित भुगतान।

18 से 50 वर्ष की आयु के बीच के पंजीकृत पुरुष श्रमिकों (दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत) को मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत सायकल वितरित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आदेश क्रमांक 60/2015 दिनांक 25 मई 2015 जारी किया गया।

मण्डल के अभिलेखों के जांच के दौरान यह पाया गया कि 50 वर्ष से अधिक आयु के 161 पुरुष श्रमिकों को योजना के तहत सायकल प्रदान किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.21 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप संबंधित सहायक श्रम

आयुक्त/श्रम अधिकारी द्वारा अपात्र लाभार्थियों को ₹ 4.41 लाख (161*2742) का अनियमित भुगतान किया गया।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि सत्यापन एवं तथ्य को प्रस्तुत करने हेतु सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी को पत्र जारी किया गया है ताकि लेखापरीक्षा दल को सूचित किया जा सके।

यद्यपि अभी तक इस संबंध में अब तक (नबंवर 2016) मण्डल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.9.4.5 समान लाभार्थी को दोहरा लाभ प्रदाय किये जाने के कारण ₹ 48.47 लाख का अधिक भुगतान।

मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 11, दिनांक 27 नबंवर 2012 (समय—समय पर संशोधित) के अनुसार वैसी पंजीकृत महिला श्रमिकों जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच है और जो पहले कभी भी मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत लाभ नहीं लिए हैं, वे मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के पात्र हैं।

मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुल 1374 श्रमिक (799+575) दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया जिसमें से 799 वैसे श्रमिक थे जो सिलाई मशीन का लाभ ले चुके थे उनको सायकल प्रदान किया गया और 575 वैसे श्रमिक थे जो पहले से ही सायकल का लाभ ले चुके थे उनको सिलाई मशीन प्रदान किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.22 में दर्शाया गया है। इस प्रकार मण्डल के श्रमिकों को दोहरा लाभ देने के कारण सिलाई मशीन योजना के तहत (799*2742+575*4620 = ₹ 48.47 लाख) अधिक भुगतान हुआ।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव द्वारा बताया गया कि पत्र जारी किया गया है एवं सहायक श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों को तथ्यों की सत्यापन करने तथा गलती करने के मामले में वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा तीन दिवस के अंदर सूचित करने हेतु निर्देश दिए गये हैं।

यद्यपि अभी तक इस संबंध में अब तक (नबंवर 2016) मण्डल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.9.4.6 विभिन्न योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होना।

मण्डल के विभिन्न अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।

मण्डल के अभिलेखों के जांच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। वर्षावार लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण तालिका 3.16 में वर्णित है।

तालिका 3.16 : वर्षावार आबंटन एवं कार्य की स्थिति

स. क.	वर्ष	योजना का नाम	लाभार्थियों की लक्ष्य संख्या	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2011–12	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन	10,000	7,715	77.15
2	2011–12	मुख्यमंत्री औजार सहायता	10,000	5,960	59.60
3	2011–12	मुख्यमंत्री सायकल सहायता	10,000	6,235	62.35
4	2012–13	मुख्यमंत्री कौशल विकास	15,000	353	2.35
	2013–14	मुख्यमंत्री कौशल विकास	15,000	2,747	18.31
5	2014–15	मुख्यमंत्री कौशल विकास	15,000	10,711	71.41
	2014–15	नौनिहाल छात्रवृत्ति	1,25,000	49,710	39.77

2015–16	नौनिहाल छात्रवृत्ति	1,25,000	1,10,351	88.28
(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)				

तालिका 3.16 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 में सिलाई, औजार और सायकल सहायता योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया और आगे के वित्तीय वर्षों में भी इन तीन योजनाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। इसके अलावा वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार 2014–15 से 2015–16 के दौरान नौनिहाल योजना का निर्धारित लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि योजनाओं को लाभ आवेदनों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। यह भी बताया गया कि 2012–13 एवं 2013–14 में मुख्यमंत्री कौशल विकास और 2014–15 में नौनिहाल योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हासिल नहीं हुआ।

सिलाई मशीन सहायता योजना और सायकल सहायता योजना एवं अन्य योजनाओं के संबंध में यह बताया गया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है।

उत्तर दर्शाता है कि आवेदन प्राप्त करने एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

3.9.4.7 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि ₹ 46.59 करोड़ अवितरित रहना

मण्डल के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों को ₹ 222.82 करोड़ आंबटित किये थे। यद्यपि यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में ₹ 176.23 करोड़ के व्यय किये गये तथा ₹ 46.59 करोड़ शेष पड़ा रहा जैसा कि परिशिष्ट 3.23 में वर्णित है।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि अपर्याप्त बजट के कारण कुछ योजनाओं में आबंटन से अधिक व्यय करने की अनुमति दी गई है। बजट का आबंटन जिले द्वारा मांग के आधार पर किया जाता है। यह भी कहा गया कि जहाँ कोई राशि अनुपयोगी पड़ी रहती है तो उसको आगामी वर्ष में समायोजित किया जाता है।

3.9.4.8 अभिलेखों का संधारण, रोकड़ बही और पासबुक में अंतर पाया जाना और आबंटन से अधिक व्यय किया जाना।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार सभी वित्तीय लेनदेनों की प्रवृष्टि होने के तुरन्त बाद रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए तथा रोकड़ बही के प्रभारी को प्रमाणित करना चाहिए कि सभी प्रविष्टियां रोकड़ बही लिखने वालों द्वारा सत्यापित हैं। रोकड़ बही समय–समय पर बंद एवं पूरी तरह से जांच किया जाना चाहिए। रोकड़ बही के प्रविष्टियों की योग की जांच रोकड़ बही प्रभारी या किसी जिम्मेदार अधीनस्थ के माध्यम से की जानी चाहिए।

चयनित जिलों के रोकड़ बहियों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः

श्रम कार्यालय राजनांदगांव में अवधि 2011–16 के दौरान रोकड़ बही में रोकड़ शेषों का 16 सितम्बर 2015 के बाद आगे नहीं ले जाया गया एवं विभिन्न योजनाओं के खाता बहियों का संधारण नहीं किया गया था।

2. 16 मार्च 2012 से 30 जून 2015 के बीच रोकड़ बही का संधारण किया गया था लेकिन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था और 30 जून 2015 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है। श्रम कार्यालय दुर्ग में अवधि 2011–16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के खाता बहियों को संधारण नहीं किया गया था।

3. श्रम कार्यालय बिलासपुर के रोकड़ बही एवं पासबुक के शेषों के मध्य ₹ 25.80 लाख (रोकड़ बही शेष ₹ 71,45,090 और बैंक पासबुक ₹ 97,24,745) का अन्तर पाया गया जो यह दर्शाता है कि बैंक से पुनर्मिलान नहीं किया गया है।

4. रोकड़ बही 7 अप्रैल 2015 के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया और श्रम कार्यालय रायपुर में 31 मार्च 2016 को रोकड़ बही और पासबुक के शेषों के बीच ₹ 1.51 करोड़ (रोकड़ बही शेष ₹ 3,64,28,517 और पासबुक – ₹ 5,04,80,372 + ₹ 11,29,575) का अंतर था।

5. श्रम कार्यालय बलौदा बाजार के रोकड़ बही और पासबुक के शेषों के बीच ₹ 1.52 करोड़ का अन्तर पाया गया। आगे यह भी पाया गया कि केवल विवाह सहायता योजना का खाता बही संधारित किया गया लेकिन रोकड़ बही एवं विवाह सहायता योजना के खाता बही में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर बिना मुहर के पाया गया। 2011–16 के अवधि में अन्य योजनाओं के खाता बहियों को संधारित नहीं किया गया।

6. श्रम कार्यालय महासमुन्द 2011–12 से 2012–13 के अवधि में आंबटन से अधिक ₹ 37,450 व्यय किया गया। अधिक व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

मदों का आंबटन एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.17** में वर्णित है।

तालिका 3.17 : वर्षावार आंबटन एवं कार्य का स्थिति

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	शीर्ष का नाम	आंबटन	व्यय	आंबटन से अधिक
1	2011–12	वाहन मरम्मत	3,000	3,553	553
2	2012–13	सम्मेलन	1,40,000	1,73,300	33,300
3	2012–13	लेखन सामग्री	20,000	23,597	3,597
कुल			1,63,000	2,00,450	37,450

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)

इंगित किये जाने पर बोर्ड के सचिव ने बताया कि इस संबंध में संबंधित सहायक श्रमायुक्तों/श्रम अधिकारियों को उनके द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में सूचित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

3.9.4.9 बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (7 फरवरी 2012) प्रत्येक भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा। साथ ही अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन, उठाये गए कदमों, योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने एंवं क्रियान्व्यन तथा योग्य आवेदकों को निधियों के वितरण से संबंधित कार्यवृत्त को सरकार के सचिव (श्रम), प्रत्येक त्रैमासिक को प्रस्तुत करेगा।

मण्डल के अभिलेखों के जांच के दौरान पाया गया कि उच्चतम न्यायालयों के आदेश द्वारा छह बार के विरुद्ध बैठकों का आयोजन वर्ष 2012–13 में 5 बार, वर्ष 2013–14 में तीन बार, 2014–15 में एक बार और 2015–16 में चार बार आयोजित किए गए थे। इसके अलावा प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासिक रूप से सरकार के सचिव (श्रम) को प्रस्तुत नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर बोर्ड के सचिव ने बताया कि निर्धारित बैठकों का आयोजन 2013–14 एवं 2014–15 के अवधि में क्रमशः विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं किया जा सका तथा यह आश्वासन दिया कि भविष्य में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक दो महीनों पर बैठक आयोजित किया जाएगा।

3.9.4.10 नियमित कर्मचारियों का पदस्थापना नहीं किया जाना

बोर्ड के कर्मचारियों की स्थिति का विवरण तालिका 3.18 में वर्णित है।

तालिका 3.18: कार्य के लिए कर्मचारी की स्थिति

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	नियुक्त	रिक्त पद
1	सचिव	01	01	00
2	लेखाधिकारी	01	01	00
3	योजना अधिकारी	01	00	01
4	कल्याण अधिकारी	06	00	06
5	निजी सचिव	01	00	01
6	आशुलिपिक	01	01	00
7	आशुटंकन	02	00	02
8	डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	08	02	06
9	सहायक ग्रेड-II	06	00	06
10	सहायक ग्रेड-III	10	02	08
11	चालक	03	03	00
12	चपरासी	12	06	06
13	प्रहरी	07	01	06
14	श्रम कल्याण निरीक्षक	27	27	00
कुल		86	44	42

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)

तालिका से देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। यह सूचित किया गया है कि मण्डल के सचिव प्रतिनियुक्ति पर थे, लेखा अधिकारी और श्रमिक कल्याण निरीक्षक अनुबंध के आधार पर थे और शेष आउटसोर्सिंग के द्वारा पदस्थापित थे। यह भी सूचित किया गया कि भर्ती नियम सरकार के पास लबिंत होने के कारण नियमित नियुक्ति नहीं किया गया है।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि समूह-ग और घ का भर्ती नियम तैयार किया गया तथा सरकार के अनुमोदन के लिए मई 2012 में मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया गया और सरकार का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। यह भी बताया गया कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्य को बाधित होने से रोकने के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है।

3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण

- राज्य सरकार द्वारा दी गई ₹ 10,502.86 करोड़ का अनुदान का बड़ी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र (4237) अनुदानग्रहीता संस्थाओं से प्रतिक्षित थे, जो कि संबंधित विभागों का अनुदानों के प्रति उपयोगिता का उचित निरीक्षण की कमी को दर्शाता है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदानग्राही संस्थाओं को विमुक्त अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रस्तुत करना चाहिए।

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुए थे जिससे स्वायत्त निकायों के कामकाज की जांच में विलंब हुई।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा ससमय प्रस्तुत किया जाए।

संक्षिप्त आकस्मिक देयक के विरुद्ध प्रस्तुत किये गए विस्तृत आकस्मिक प्रतिहस्ताक्षरित देयक

- मार्च 2016 की स्थिति में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 645.86 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक प्रतिहस्ताक्षरित देयक प्रतिक्षित थे।

लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के समय समायोजन के लिए एक उचित निगरानी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

व्यक्तिगत निक्षेप खाताओं का अनुरक्षण

- व्यक्तिगत खाताओं का अंतिम शेष वर्ष 2011–12 में ₹ 729.22 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,696.46 करोड़ हो गया।
- प्रशासकों के खाते से व्यक्तिगत खातों का वार्षिक पुनर्मिलान संबंधित प्रशासकों के द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था।

व्यक्तिगत खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जाना चाहिए जैसा कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में वर्णित है तथा इन्हें प्रत्येक वर्ष के अंत में बंद कर देना चाहिए। व्यक्तिगत खातों का कोषालय कार्यालय से वार्षिक पुनर्मिलान को संबंधित प्रशासकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

हानि तथा दुर्विनियोजन का प्रतिवेदन

- हानि तथा दुर्विनियोजन के ₹ 117.02 करोड़ के 2218 प्रकरणों के निपटारे का शासकीय अनुपालन लंबित था।

इन सभी दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि के प्रकरणों का विभागीय जांच तीव्र रूप से करनी चाहिए।

लघु शीर्ष "800—अन्य व्यय" तथा "अन्य प्राप्तियां" के अंतर्गत समायोजन

- बड़ी मात्रा में प्राप्तियां तथा व्यय की राशि (₹ 8,698.96 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष—"800—अन्य व्यय/प्राप्तियां" में वर्गीकृत किया गया जो कि वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

यह सिफारिश की जाती है कि वैसे प्राप्तियां/व्यय जो कि प्रचलित कार्यक्रम के लघु शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है को केवल लघु शीर्ष "800—अन्य प्राप्तियां/व्यय" में समायोजित करना चाहिए था।

विविध लोक निर्माण अग्रिम का समायोजन

- मार्च 2016 के अंत तक विविध लोक निर्माण अग्रिम में ₹ 118.12 करोड़ की बड़ी राशि पड़ी थी।

विभाग को वर्ष की समाप्ति के पहले अग्रिम को समाशोधित करने के लिए प्रभावी कदम उठना चाहिए।

कर्मकार उपकर के अंतिम शेष

- मण्डल उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सका तथा अवधि के दौरान उपयोगिता का प्रतिशत 11.81 से 38.63 के बीच रहा। बड़ी संख्या में चेक अनादरित होने और बदलने या पुनर्वैध करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही करने में विफलता के कारण कम उपकर की प्राप्ति हुई। योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किये जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां पाई गई जिसके कारण अपात्र लाभार्थियों को भुगतान हुआ और लाभार्थियों को जिस उद्देश्य के लिए भुगतान किया गया था उसका उपयोगिता सुनिश्चित

नहीं किया गया। रोकड़ बही का संधारण राज्य कोषालय नियम के अनुसार नहीं पाया गया तथा बैंक समाशोधन नहीं किया गया जिसके कारण चयनित जिलों के रोकड़ बही एवं पासबुक में अंतर पाया गया। भर्ती नियम उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी थी और कार्य का निष्पादन आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा था। मण्डल उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दो महीने में कम से कम एक बैठक की निर्धारित संख्या में आयोजन करने में विफल रहा।

मण्डल को अस्वीकृत चेक के समाशोधन हेतु समयबद्ध कार्यवाही करनी चाहिए तथा कल्याण निधि में जमा करना चाहिए।


अपात्र एवं समान लाभार्थियों को वस्तुओं के वितरण को रोकने के लिए योजना के क्रियान्वयन के निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

रोकड़ बही का संधारण राज्य वित्तीय निधि एवं कोषालय संहिता के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए तथा विभिन्न योजनाओं के खाताबही का संधारण एवं समाशोधन पत्र तैयार किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया जाना तथा तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए सरकार एवं मण्डल के नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सरकार एवं मण्डल से श्रम उपकर संगृहीत कर समय पर प्राप्ति के लिए कदम उठाने चाहिए और मण्डल के खाते में संगृहीत करना चाहिए।

रायपुर
दिनांक 25 JAN 2017


(विजय कुमार मोहन्ति)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 1 फरवरी 2017


(शशी कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक